उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

शुक्रवार, 13 माघ, शक संवत् 1945

(02 फरवरी, 2024)

समय : 12:30 बजे अपराह्न

1-वन्दे मातरम् (देखिये नत्थी 'क')।

2-श्री सभापति, विधान परिषद्, सदन के दिनांक 02 फरवरी, 2024 से दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक के तिथिवार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति की संस्तुति, सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(संस्तुति की सूचना के लिए देखिये नत्थी 'ख')

3-श्री राज्यपाल के अभिभाषण को प्रतिवेदित किया जाना।

4-निधन के निदेश।

5-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् घोषणा करेंगे कि :-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का सत्रहवाँ अधिनियम बना।

(2) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का अट्ठारहवाँ अधिनियम बना।

(3) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का उन्नीसवाँ अधिनियम बना।

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का बीसवाँ अधिनियम बना।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का इक्कीसवाँ अधिनियम बना।

(6) उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का बाइसवाँ अधिनियम बना।

(7) उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का तेइसवाँ अधिनियम बना।

(8) उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का चौबीसवाँ अधिनियम बना।

(9) उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2023 ई0 का पच्चीसवाँ अधिनियम बना।

6-स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2023) को सदन की मेज पर रखेंगे।

7-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-20 सन् 2023) को सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 द्वारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक विवरण तथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का समीक्षा अभिकथन राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1165/ग्यारह-2-23-9(42)-17-टी0सी0-67-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(299)-2023, दिनांक 17 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1468/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-241-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(308)-2023, दिनांक 17 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1501/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-249-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(309)-2023, दिनांक 19 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

12-समाज कल्याण राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, समाज कल्याण अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1975 की धारा-12 (7) के अधीन स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

13-कृषि विपणन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-01/2024/558/80-1-2023-80-1003(002)-3-2023, दिनांक 01 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-40 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

लखनऊ :
शुक्रवार, 13 माघ, शक संवत् 1945
(02 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

नत्थी ‘क’

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-परामर्शदात्री समिति ने अपनी दिनांक 01 फरवरी, 2024 की बैठक में सदन के दिनांक 02 फरवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की संस्तुति की है :-

<u>फ़रवरी, 2024</u>

02 शुक्रवार — **1-<u>11:00 बजे पूर्वाह्न</u>**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-<u>12:30 बजे अपराह्न</u>

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना।

(2) निधन के निदेश।

(3) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन की मेज पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

03 शनिवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।

04 रविवार — बैठक नहीं होगी।

05 सोमवार — **1-<u>11:00 बजे पूर्वाह्न</u>**

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।

06 मंगलवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।

07 बुधवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा एवं पारण।

08 गुरुवार — 1-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

<u>फरवरी, 2024</u>

09 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
10 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
11 रविवार	बैठक नहीं होगी।
12 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2-0<u>4:00 बजे अपराह्न</u>

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024, जैसा विधान सभा द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।